भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 329*

01 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत दवाओं के उत्पादन में वृद्धि

*329. श्री नीरज डांगी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष दवाओं और संपूरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुष दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर नजर रखने के लिए स्थापित किए गए संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत देश भर में कितने आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र कार्यरत हैं, विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा में 01 अप्रैल, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 329* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आयुष दवाओं और संपूरकों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित विषय संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए औषधियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है, ताकि दवाओं के वितरण सहित विभिन्न आयुष उपचारों के माध्यम से समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(ख): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160 क से ञ में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारी की ओर से आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता एवं शक्ति के ऐसे परीक्षण हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को मंजूरी देने के लिए विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो इन नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हों। अभी तक, 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनकी अवसंरचना एवं कार्यात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों एवं कच्चे माल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत 106 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है या लाइसेंस प्रदान किया गया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण https://ayush.gov.in/resources/pdf/quality_standards/StateDrugTestingLaboratoryASUH

Eng.pdf और
https://ayush.gov.in/resources/pdf/quality_standards/StateDrugTestingLaboratoryASUH Eng.pdf पर उपलब्ध है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि निरीक्षक अपने कार्यक्षेत्र में विनिर्माण फर्मों या दुकानों से नियमित रूप से औषधि के नमूने एकत्र करते हैं और गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को भेजते हैं और यदि कोई नमूना मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है, तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना- आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केंद्रों को त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से प्रतिकूल औषध प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करने का अधिदेश है, जिसमें राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केंद्रों का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] की 12,500 इकाइयों को संचालन के लिए अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित और कार्यशील एएएम (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है। इसके अलावा, विगत तीन वर्षों के दौरान एएएम (आयुष) के लिए जारी की गई धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-III** पर दी गई है।

*****

संलग्नक-I

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केंद्रों का विवरण

क. राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) (01)	
1.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली

ख. मध्यस्थ भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) (05)	
1.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान
2.	आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर, गुजरात
3.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु
4.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल
5.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक

ग. परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों का विवरण (97)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान के अंतर्गत	
1.	केंद्रीय आयुर्वेद हृदयविकार अनुसंधान संस्थान, दिल्ली
2.	आरआरएपी केंद्रीय आयुर्वेद कैंसर अनुसंधान संस्थान, आरए पोद्दार कॉलेज, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र
3.	क्षेत्रीय आयुर्वेद औषधि विकास अनुसंधान संस्थान, राजकीय आयुर्वेद अस्पताल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
4.	राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला
5.	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड
6.	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर
7.	भारती विद्यापीठ, आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र
8.	पं. ख़ुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और संस्थान, भोपाल
9.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
10.	मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
11।	चौ. प्रजापति प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, नई दिल्ली
12.	राजकीय धन्वंतरि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश
13.	आयुर्विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
14.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र
15.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ
16.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, खड़कपुरा, नांदेड़, महाराष्ट्र
17.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रघुजी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र
18.	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
19.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, दीमापुर, नागालैंड
20.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम
21.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश
22.	श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल, कुरुक्षेत्र
23.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कदम कुआं, पटना
24.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश

25.	राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
26.	गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी, ओडिशा
27.	आरएआरआई, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
28.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, अगरतला, त्रिपुरा
29.	ज़िला संयुक्त औषधालय, रांची, झारखंड
आईपीजीटी और आरए, जामनगर, गुजरात के अंतर्गत	
30.	केंद्रीय आयुर्वेद औषधि विकास अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
31.	क्षेत्रीय आयुर्वेद चयापचय विकार अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक
32.	एनईआईएएच, शिलांग, मेघालय
33.	वैद्यरत्नम पीएसवैरियर आयुर्वेद महाविद्यालय, कोट्टाकल केरल
34.	श्री बी.एम. कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगावी, कर्नाटक
35.	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय, हसन
36.	एसडीएम आयुर्वेद संस्थान और अस्पताल, बेंगलुरु, कर्नाटक
37.	जेएसएस आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, मैसूर, कर्नाटक
38.	अमृता आयुर्वेद विद्यालय, कोल्लम, केरल
39.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक
40	जेबी रॉय आयुर्वेद महाविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
41.	गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय, शिरोडा, गोवा
42.	30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल, अंदमान निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर
43.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वडोदरा, गुजरात
44.	श्री स्वामीनारायण आयुर्वेद महाविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात
45.	जे एस आयुर्वेद महाविद्यालय, महाविद्यालय मार्ग, नाडियाड, गुजरात
46.	एएलएनआर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, कोप्पा, कर्नाटक
47.	एएल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वारंगल, तेलंगाना
48.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिपुनिथुरा, केरल
49.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, नागरकोइल, तमिलनाडु
50.	आयुष विभाग, सिविल अस्पताल, आइजोल, मिजोरम
51.	दीन दयाल उपाध्याय आयुष अस्पताल, राजधानी क्षेत्र लक्षद्वीप
राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के अंतर्गत	
52.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, अरुम्बक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु
53.	क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
54.	क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल
55.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायमकोट्टई, तमिलनाडु
56.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, अरुम्बक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु
57.	एएमओ, राजकीय अस्पताल (सिद्ध विंग), पेरुन्दुराई, इरोड, तमिलनाडु

58.	राजकीय ज़िला मुख्यालय अस्पताल (सिद्ध विंग), डिंडीगुल, तमिलनाडु
59.	कुलुमनी, राजकीय ज़िला मुख्यालय अस्पताल (सिद्ध), त्रिची, तमिलनाडु
60.	राजकीय सिद्ध विंग, कामराज अस्पताल, चिदंबरम
61.	विल्लुपुरम चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (सिद्ध), विल्लुपुरम
62.	एससीआर इकाई (सीसीआरएस के तहत कार्यशील), करोल बाग, नई दिल्ली
63.	राजकीय अस्पताल, कामुथी, रामनाथपुरम ज़िला, तमिलनाडु
64.	राजकीय थेनी चिकित्सा महाविद्यालय (डीएसएमओ), मदुरै ज़िला, तमिलनाडु
65.	राजकीय अस्पताल, कुझिथुरै, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
66.	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कायामोझी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत	
67.	डॉ. डी. पी. रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश
68.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम
69.	क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, डॉ. जीजीएच चिकित्सा महाविद्यालय, गुडीवाडा, आंध्र प्रदेश
70.	क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी, असम
71.	डॉ. अंजलि चटर्जी क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
72.	क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
73.	राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
74.	महेश भट्टाचार्य होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, हावड़ा
75.	शारदा कृष्ण होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, कन्याकुमारी
76.	फादर मुलर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, मंगलुरु, कर्नाटक
77.	क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (एच), मणिपुर
78.	क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (एच), अगरतला, त्रिपुरा
79.	होम्योपैथी विभाग, एम्स, रायपुर, छत्तीसगढ
80.	डॉ. एमपीके होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
81.	नैदानिक अनुसंधान इकाई (एच), पोर्ट ब्लेयर (अंदमान और निकोबार)
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक के अंतर्गत	
82.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना
83.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
84.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र
85.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु
86.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
87.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
88.	अजमल खान तिब्बिया महाविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
89.	डाक्टर सैयद ज़ियाउल हसन राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

90.	डॉ. अब्दुल हक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कुरनूल, आंध्र प्रदेश
91.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
92.	राजकीय तिब्बिया महाविद्यालय और अस्पताल, पटना
93.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन, राजस्थान
94.	आरआरआईयूएम, भद्रक, ओडिशा
95.	राजकीय निज़ामिया तिब्बिया महाविद्यालय और अस्पताल, हैदराबाद, तेलंगाना
96.	मोहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय, मालेगांव, महाराष्ट्र
सोवा रिग्पा	
97.	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा अनुसंधान संस्थान, लेह, लद्दाख

संलग्नक-II

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अनुमोदित एवं कार्यशील एएएम (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	कार्यशील इकाइयों की संख्या
1	अंदमान एवं निकोबार	6	6
2	आंध्र प्रदेश	126	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	89
4	असम	500	500
5	बिहार	294	294
6	चंडीगढ़	12	12
7	छत्तीसगढ़	400	400
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	1	1

10	गोवा	100	100
11	गुजरात	365	365
12	हरियाणा	538	538
13	हिमाचल प्रदेश	761	740
14	जम्मू-कश्मीर	523	523
15	झारखंड	745	745
16	कर्नाटक	376	376
17	केरल	700	700
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	7	7
20	मध्य प्रदेश	800	800
21	महाराष्ट्र	390	382
22	मणिपुर	15	15
24	मेघालय	24	24
24	मिजोरम	41	41
25	नागालैंड	49	49
26	ओडिशा	422	422
27	पुडुचेरी	4	4
28	पंजाब	158	158
29	राजस्थान	2019	2019
30	सिक्किम	18	18
31	तमिलनाडु	650	650
32	तेलंगाना	421	421
33	त्रिपुरा	72	72
34	उत्तर प्रदेश	1034	1034
35	उत्तराखंड	300	300
36	पश्चिमी बंगाल	540	540
कुल		**12500**	**12471**

संलग्नक-III

विगत तीन वर्षों के दौरान, एएएम (आयुष) के लिए जारी निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0

2	अरुणाचल प्रदेश	170.035	54	203.265
3	असम	231.66	649.46	1658.13
4	बिहार	1522.26	0	328.32
5	छत्तीसगढ़	234.48	0	631.64
6	गोवा	221.28	69.99	114.48
7	गुजरात	198.45	649.29	392.35
8	हरियाणा	143.94	246.4	725.44
9	हिमाचल प्रदेश	1261.8	2956.67	2153.86
10	झारखंड	1309.77	1609.64	1685.28
11	कर्नाटक	517.76	394.65	851.12
12	केरल	153	1890.912	1761.74
13	मध्य प्रदेश	2083.8	1063.8	2962.77
14	महाराष्ट्र	0	0	1502.46
15	मणिपुर	170.04	0	0
16	मेघालय	141.696	82.62	224.953
17	मिजोरम	193.84	0	336.99
18	नागालैंड	90.374	12.636	273.298
19	ओडिशा	1075.38	0	0
20	पंजाब	443.88	0	0
21	राजस्थान	3717.19	1728.89	0
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	1060.2	703.08	2163.6
24	तेलंगाना	3132.25	2927.63	193.871
25	त्रिपुरा	31.5	0	162.61
26	उत्तर प्रदेश	2012.148	361.53	230.43
27	उत्तराखंड	2363.94	216.68	593.1
28	पश्चिमी बंगाल	1097.82	2352.99	2780.67
29	अदमान एवं निकोबार द्वीप	6.52	18.18	45.6
30	चंडीगढ़	8.35	19.39	2.6
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	10.61
32	लक्षद्वीप	6.91	12.76	27.13
33	पुडुचेरी	13.736	8.568	0
34	दिल्ली	0	0	0
35	जम्म-कश्मीर	305.01	1492.54	2408.733

36	लद्दाख	0	0	0
	कुल	**23919.02**	**19522.31**	**24425.05**